मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ0बी0 25/20/पी0डब्ल्यू0सी0/चार   भोपाल, दि0 21/मार्च/1997.

प्रति,

1- कमिश्नर,
रायपुर संभाग,
रायपुर।

2- कमिश्नर,
बिलासपुर संभाग,
बिलासपुर।

विषय:- पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।

सन्दर्भ:- 1-आपका पत्र क्रमांक लेखा-10/1/96/7131 दिनांक 17/10/96.
2- आपका पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 10/10/96.

========

आपके व्दारा चाहे गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नानुसार है:-

1-वेतन तथा भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली माफ करने बाबत।	शासन की नीति यह है कि अगर किसी शासकीय सेवक की वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली माफ नहीं की जायेगी। ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक सहमति दे अथवा नहीं, कटोत्री ग्रेच्यूटी से की जाना चाहिए। अगर पूरी ग्रेच्यूटी समायोजित हो जाने के बाद भी कटोत्री समाप्त नहीं होती है तो शेष राशि को पेंशन पर देय राहत से समायोजित किया जाना चाहिये।
2-सेवावृद्धि देने/अधिक की गई सेवा को नियमित करते हुए पुर्ननियुक्त मानने बाबत।	इस बिन्दु पर स्थिति इस विभाग के ज्ञाप0 क्रमांक एफ-बी0/25/20/94/पी0डब्ल्यू0सी0/चार/ दिनांक 20/1/97 व्दारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
3-अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का नियमन।	-------- तदैव --------
4-लंबितपडे अवकाश प्रकरण का निराकरण एवं अवकाश आदि के वेतन एवं भत्तों बाबत।	सेवा के दौरान लिए गये अवकाश जैसे विभाग में सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक नियमित नहीं किये है। सामान्यतया स्वेच्छा से अनुपस्थिति / अनाधिकृत अवकाश की प्रकृति से संबंधित है।

क्रमश:-2

5-सी०पी०एफ० की राशि जमा करने पर अर्हता सेवा मानने बाबत।

[illegible]

ऐसे प्रकरणों में अवकाश का नियमन अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रशासकीय विभाग का है।

अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के अंतर्गत ऐसे लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण केवल मृत दिवस (Dies-Non) मानकर ही किया जावे। ऐसे कर्मचारी जिनका अशासकीय सेवा में शासकीय सेवा में संविलियन हुआ है। की अशासकीय सेवाकाल को पेंशन प्रयोजन के लिये अर्हता सेवा मानने बाबत तत्समय प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग से प्रसारित संविलियन सेवा शर्तों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय। जनपद सेवा अवधि के लिये अंशदायी भविष्य निधि में अब सम्मिलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे प्रकरणों में अवशिष्ट शक्ति (RESIDUARY POWERS) के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

6-रेशम संचालनालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा शर्तें।

प्रशासकीय विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

7-जन्मतिथियों में [illegible] की [illegible]

1- ऐसे प्रकरणों में जाँच उस तिथि की होनी चाहिए जो परिवर्तन से पूर्व सेवा पुस्तिका में अंकित थी।
2-म०प्र० वित्त संहिता भाग-एक के नियम 84 के अनुसार मूलतः क्या जन्मतिथि अंकित थी इनकी पुष्टि अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में प्रकाशित पदक्रम सूचियों का अवश्य परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसी चार-पाँच पदक्रम सूचियां जो अंतराल से जारी की गई हो, जन्मतिथि के सत्यापन का आधार हो सकता है। यदि संभव हो तो यह भी देखा जाना चाहिए कि कर्मचारी द्वारा सेवा में भरती के समय आवेदन में क्या तारीख अंकित की थी।

क्रमशः/3//

// 3 //

3- सेवा में [illegible] तिथि की मान्यता परिवर्तित
तिथि की मान्यता न होकर उसकी वास्तविक जन्म-
तिथिकी मान्यता न होकर उसकी वास्तविक जन्मतिथि
को वित्त संहिता भाग-एक के सहायक नियम 84
के अनुसार सेवा पुस्तिका में प्रथमवार अंकित की गई
है । का सत्यापन है। वित्त विभाग के ज्ञाप क्र०
एफ०बी०/25/29/94/पी०डब्ल्यू०सी०/चार दिनांक -
1/7/95 से जो अधिकार संयुक्त संचालक कोष लेखा
एवं पेंशन को सौंपे गए हैं, उसका आशय भी यही है।

4- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जन्मतिथि प्रमाण-पत्र जन्मपत्री आदि के आधार पर प्रकरणों को खोलना केवल शासन के क्षेत्राधिकार में रहेगा जैसे कि म०प्र० वित्त संहिता भाग-1 के प्रावधानों में उल्लेखित है ।

5- जहां तक प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु सक्षम अधिकारी के नामांकन का प्रश्न है, यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसा नामांकन नहीं किया है, तो आयुक्त अवशिष्ट अधिकारी (Residuary Powers) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का स्तर घोषित कर सकते हैं।

(एस०जी०लिमये)
उप सचिव
म०प्र० शासन वित्त विभाग.

पृ०क्रमांक/एफ०बी०/25/20/94/पी०डब्ल्यू०सी०चार भोपाल, दिनांक मार्च 1997.

प्रतिलिपि:-
1- समस्त संभागीय कमिश्नर। रायपुर एवं बिलासपुर छोड़कर (म०प्र०)
2- समस्त संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस०जी०लिमये)
उप सचिव
म०प्र० शासन वित्त विभाग

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. जन्मतिथि [illegible]
5. [illegible] ऊँचाई,
6. (ए) धर्म
(बी) यदि कर्मचारी अनु. जाति अथवा अनु. जनजाति का सदस्य है तो जाति/जनजाति का विवरण
7. पहचान के निशान,
8. शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय
परीक्षा का नाम [illegible]

1.

2.

3.

9. कर्मचारी के बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान,
कनिष्ठ अंगुली [illegible] अंगुली मध्य अंगुली अंगूठा तर्जनी अंगुली

10. शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर व दिनांक (प्रति पाँच वर्ष उपरांत)

1. 2. 3. 4.

प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

(I)

विषय- सेवा पुस्तिका में जन्म की तारीख में परिवर्तन के प्रकरण।

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में काट-छांट के प्रकरणों में जन्म तिथि को मान्यता प्रदान करने के अधिकार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को समसंख्यक आदेश 1 जुलाई 1995 द्वारा प्रत्यायोजित किये गये हैं।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अगर सेवा पुस्तिका में काट-छांट नहीं है लेकिन अंकित जन्मतिथि में किसी न्यायालय के आदेश के अनुरूप अथवा किसी और वजह से परिवर्तन किया जाता है तो यह अधिकार प्रशासकीय विभाग को होंगे।

[illegible] दिनांक 23.8.96

(II)

विषय- सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि की काट-छांट, उपरिलेखन, परिवर्तन के संबंध में।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. बी- 25/29/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 1-7-95 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23-12-94 को अधिक्रमित करते हुए जन्मतिथि की कांट-छांट के प्रकरणों में जन्मतिथि को मान्यता प्रदान करने के अधिकार संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये गये हैं। वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 23-8-96 द्वारा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1-7-95 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर सेवा पुस्तिका में कांट-छांट नहीं है, लेकिन अंकित जन्मतिथि को किसी न्यायालय के आदेश के अनुरूप अथवा किसी और वजह से परिवर्तित किया जाता है तो [illegible] होंगे।

2. जन्मतिथि की कांट-छांट के प्रकरणों के निराकरण में सुविधा की दृष्टि से यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शासकीय कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में वार्षिक सेवा सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रमाणपत्र अंकित किया जाए :

"शासकीय अभिलेखों के आधार पर दिनांक ... से ... तक सेवा सत्यापित की गई। सेवा पुस्तिका निरीक्षण में कु./श्रीमती/श्री ... की जन्मतिथि में कोई कांट-छांट या संशोधन नहीं है।"